अध्याय-III

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-III

वित्तीय प्रबंधन

3.1 निधियन स्वरूप तथा निधियों का प्रवाह

निधियां पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए मुख्यत: भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन (90:10 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण द्वारा राज्य सरकार और अन्य राज्य स्कीमों (ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति स्कीमों) के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाती हैं। निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जल जीवन मिशन और अन्य राज्य स्कीमों के अंतर्गत राज्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निधियां प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त स्कीमों, यदि कोई हो, के पुनर्स्थापन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्तों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत भी सीधे जल शक्ति विभाग के मंडलों को उपलब्ध करवाई जाती हैं।

राज्य में पेयजल स्कीमों का वित्तीय प्रबंधन अकुशल एवं अमितव्ययी था। स्वीकृत स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता को कम करते हुए निधियों का अन्यत्र व्यपवर्तन तथा अतिरिक्त व्यय किया गया। नमूना-जांचित मंडलों में कोषागार से आहरित तथा उपायुक्तों और अन्य मंडलों से प्राप्त ₹ 35.79 करोड़ की निधियां 10 से 79 माह तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। चूंकि समुदायों को स्कीमों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था, इसलिए परिकल्पित सामुदायिक स्वामित्व घटित नहीं हुआ था।

3.2 बजट आवंटन और व्यय

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य में जलापूर्ति स्कीमों के लिए बजट आबंटन एवं उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा **तालिका-3.1** और **तालिका-3.2** में दिया गया है।

तालिका-3.1

2016-21 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित जल आपूर्ति स्कीमों के लिए बजट तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यक्रम का नाम	बजट			व्यय		
		भारत सरकार	राज्य	कुल	भारत सरकार	राज्य	कुल
2016-17	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	85.80	44.72	130.52	64.34	42.91	107.25
2017-18	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	124.36	35.27	159.63	142.01	35.45	177.46
2018-19	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	81.25	26.06	107.31	89.64	26.52	116.16
2019-20	जल जीवन मिशन	200.83	15.93	216.76	200.83	15.93	216.76
2020-21	जल जीवन मिशन	319.98	41.95	361.93	307.24	40.48	347.72
कुल		**812.22**	**163.93**	**976.15**	**804.06**	**161.29**	**965.35**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

तालिका-3.2

2016-21 के दौरान राज्य जल आपूर्ति स्कीमों के लिए बजट तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट				व्यय			
	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम		शहरी जल आपूर्ति स्कीम	कुल	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम		शहरी	कुल
	राज्य	नाबार्ड			राज्य	नाबार्ड		
2016-17	54.29	114.02	21.00	189.31	53.86	114.03	21.00	188.90
2017-18	57.06	135.35	37.95	230.36	56.97	135.37	37.95	230.29
2018-19	62.14	121.56	71.82	255.52	62.17	121.55	71.82	255.54
2019-20	75.41	142.64	56.99	275.04	74.57	138.85	56.91	270.32
2020-21	182.48	167.11	45.00	394.59	232.01	156.98	44.31	433.30
कुल	**431.38**	**680.68**	**232.76**	**1344.82**	**479.58**	**666.78**	**231.99**	**1378.35**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बुक किए गए व्यय के आंकड़े केवल राजकोष से आहरित राशि को दर्शाते हैं और वास्तव में निष्पादित जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है। कुछ नमूना-जांचित मण्डलों में बहुत मात्रा में राशि अव्ययित रही, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 वास्तव में निष्पादित नहीं किए गए कार्यों के लिए आहरित निधियां

नमूना-जांचित सात[1] (20 में से) मण्डलों में, 2016-21 के दौरान ₹ 257.52 करोड़ के कुल व्यय में से अधिशाषी अभियन्ताओं ने 2016-20 के दौरान समेकित निधि से ₹ 17.74 करोड़ आहरित किए थे और इसे 39 जल आपूर्ति स्कीमों[2] पर अंतिम व्यय के रूप में दिखाया था, जो वास्तव में निष्पादित नहीं की गई थीं और राशि को निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखा गया था। इसमें से ₹ 7.54 करोड़[3] का व्यय कार्यों के निष्पादन के लिए बाद के वर्षों में किया गया था और शेष ₹ 10.20 करोड़[4] अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत 20 से 80 माह से अधिक समय तक अव्ययित पड़े थे।

इन निधियों का इनकी वास्तविक आवश्यकता के बिना आहरित करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183, जिसमें प्रावधान है कि कोषगार से कोई भी राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसका तत्काल संवितरण करना आवश्यक न हो, के विरूद्ध था।

सचिव ने अंतिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सूचित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निधियों का प्रवाह किया जाता है, ऐसे में अग्रिम में निधियों को आहरित करने और निक्षेप शीर्ष में रखने की प्रथा को अब बंद कर दिया गया है। तथापि,

---

1 चम्बा: ₹ 4.28 करोड़ (मार्च 2015 और मार्च 2020), डलहौज़ी: ₹ 1.33 करोड़ (मार्च 2018 और मार्च 2019), धर्मशाला: ₹ 0.94 करोड़ (मार्च 2018), हमीरपुर: ₹ 8.03 करोड़ (मार्च 2017, मार्च 2018 और मार्च 2020), काज़ा: ₹ 0.45 करोड़ (मार्च 2019), पालमपुर: ₹ 0.80 करोड़ (मार्च 2018) और थुरल: ₹ 1.91 करोड़ (मार्च 2018)।

2 पूर्ण स्कीमें: 24 और अपूर्ण स्कीमें: 15

3 चम्बा: ₹ 3.10 करोड़, डलहौज़ी: ₹ 0.70 करोड़, धर्मशाला: ₹ 0.59 करोड़, हमीरपुर: ₹ 2.20 करोड़, पालमपुर: ₹ 0.52 करोड़ और थुरल: ₹ 0.43 करोड़।

4 चम्बा: ₹ 1.18 करोड़, डलहौज़ी: ₹ 0.63 करोड़, धर्मशाला: ₹ 0.34 करोड़, हमीरपुर: ₹ 5.83 करोड़, काज़ा: ₹ 0.45 करोड़, पालमपुर: ₹ 0.28 करोड़ और थुरल: ₹ 1.49 करोड़।

तथ्य यह है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली केवल जल जीवन मिशन पेयजल स्कीमों के लिए लागू है तथा राज्य द्वारा अनुमोदित स्कीमों के लिए लागू नहीं है। इसलिए, लेखापरीक्षा का मानना है कि जल जीवन मिशन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिबन्ध राज्य स्कीमों के लिए प्रयुक्त नहीं होगें।

3.4 अप्रयुक्त निधियां

संबंधित उपायुक्तों और अन्य मण्डलों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष रुप से प्राप्त निधियां क्षतिग्रस्त स्कीमों के पुनर्स्थापन के कार्यों पर व्यय की जानी अपेक्षित थी। प्राप्त/व्ययित निधियां और अवधि जबसे अव्ययित पड़ी हैं का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3.3

प्राप्त/व्ययित निधियां तथा अवधि जबसे अव्ययित पड़ी है का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एजेंसी जिससे निधियां प्राप्त हुई	मण्डलों की संख्या	प्राप्ति का माह/वर्ष	स्कीमों की संख्या जिनके लिए निधियां प्राप्त हुई	प्राप्त निधियां	किया गया व्यय	शेष	अवधि जबसे निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही
1.	उपायुक्त	04	जुलाई 2015 तथा मार्च 2021 के मध्य	60	3.33	0.04	3.29	10 से 79 माह
2.	नगर परिषद्		जनवरी 2015 तथा जून 2020 के मध्य	03	54.36	38.57	15.79	13 से 78 माह
3.	अन्य मण्डल		मार्च 2018 तथा जुलाई 2019 के मध्य	04	0.72	0.11	0.61	28 से 95 माह
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	02	अगस्त 2013 तथा मार्च 2019 के मध्य	एकमुश्त आधार	5.12	2.35	2.77	31 से 55 माह
5.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	04	सितम्बर 2016 तथा मार्च 2021 के मध्य	एकमुश्त आधार	4.93	1.80	3.13	सात से 58 माह
	कुल	**10**			**68.46**	**42.87**	**25.59**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- चार नमूना-जांचित मण्डलों[5] में, संबंधित अधिशाषी अभियंता ने, 67 जल आपूर्ति स्कीमों के निष्पादन के लिए विभिन्न एजेंसियों (उपायुक्त, नगर परिषद और अन्य मण्डलों) से प्राप्त ₹ 58.41 करोड़ के प्रति, अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक ₹ 38.72 करोड़ का व्यय किया

[5] झण्डुता: जल शक्ति विभाग मण्डल घुमारवीं से ₹ 0.70 करोड़, कुल्लू-I: उपायुक्त कुल्लू (₹ 0.12 करोड़) तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू (₹ 54.36 करोड़) से ₹ 54.48 करोड़, पालमपुर: ₹ 1.56 करोड़ तथा थुरल: उपायुक्त कांगड़ा (₹ 1.65 करोड़) तथा लोक निर्माण विभाग मण्डल जयसिंहपुर (₹ 0.02 करोड़) से ₹ 1.67 करोड़।

और ₹ 19.69 करोड़ 10 से 79[6] माह से निक्षेप शीर्ष में पड़े थे। निधियों की उपलब्धता के बावजूद, स्कीमों/कार्यों को लंबे समय तक पूरा नहीं किया गया, इस प्रकार लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित कर दिया गया। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने कहा (अगस्त 2021 से फरवरी 2022) कि कार्य प्रगति पर हैं और निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत राशि का कार्यों के बिल प्राप्त होने पर उपयोग किया जाएगा।

- दो नमूना-जांचित मण्डलों (केलांग और मण्डी) में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों के निष्पादन के लिए ₹ 5.12 करोड़ (केलांग: अगस्त 2013-मार्च 2019 के दौरान प्राप्त ₹ 1.27 करोड़ तथा मण्डी: मार्च 2018 के दौरान प्राप्त ₹ 3.85 करोड़) एकमुश्त आधार पर प्राप्त हुए थे और निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखे गए थे। अधिशाषी अभियंताओं ने जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 तक ₹ 2.35 करोड़ (केलांग: ₹ 0.03 करोड़ एवं मण्डी: ₹ 2.32 करोड़) का व्यय किया था। संबंधित मण्डलों ने 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्कीम बंद होने के बावजूद निक्षेप शीर्ष में पड़ी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया था।
- चार नमूना-जांचित मण्डलों में, वर्षा एवं सर्दी के मौसम के दौरान क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति स्कीमों के पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधियों के प्रति, ₹ 4.93 करोड़[7] (शिमला मण्डल नंबर 1 से: ₹ 2.62 करोड़ एवं उपायुक्तों से ₹ 2.31 करोड़) प्राप्त हुए थे। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने ₹ 1.80 करोड़ व्यय किए थे और निक्षेप शीर्ष में ₹ 3.13 करोड़[8] जुलाई से दिसंबर 2021 तक अव्ययित पड़े थे। तथापि, जल आपूर्ति स्कीमों को अस्थायी रूप से पुनर्स्थापित कर दिया गया था, लेकिन वे लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण पड़ी थी। यह इंगित करता है कि क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति स्कीमों के पुनर्स्थापन के लिए निधियों को लंबे समय तक (सात से 58 माह) अप्रयुक्त रखा गया, जिससे अभिप्रेत लाभार्थियों को तत्काल राहत प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने कहा (अगस्त 2021 से जनवरी 2022) कि कोडल औपचारिकताओं (अनुमान तैयार करना, निविदा प्रक्रिया, स्थानीय विवाद, ठेकेदारों द्वारा विलम्ब इत्यादि) को पूरा न करने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।

3.5 निधियों का विचलन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 14 में प्रावधान है कि व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए निधियां प्रदान की गई है। नाबार्ड के अंतर्गत निधियों को ग्रामीण जल-आपूर्ति स्कीमों के लिए स्वीकृत तथा प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के

---

[6] जल आपूत्ति स्कीम मनाली शहर का आवर्धन (79 माह का विलम्ब) तथा जल आपूर्ति स्कीम कुल्लू शहर का आवर्धन (₹ 7.82 करोड़ की अधिकतम अप्रयुक्त राशि)।

[7] केलांग: ₹ 1.91 करोड़, कुल्लू-I: ₹ 0.35 करोड़, मण्डी: ₹ 2.62 करोड़ तथा पालमपुर: ₹ 0.05 करोड़।

[8] केलांग: ₹ 1.31 करोड़; कुल्लू-I: ₹ 0.24 करोड़, मण्डी: ₹ 1.53 करोड़ तथा पालमपुर: ₹ 0.05 करोड़।

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 के अनुलग्नक-IV के अनुसार निधियों का भूमि, वाहनों के क्रय, कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण/नवीकरण/मरम्मत, राज्य की अन्य स्कीमों इत्यादि के लिए विचलन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देश कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र से बाहर निधियों का विचलन करना निषेध हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ नमूना-जांचित मण्डलों ने **तालिका-3.4** में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर नाबार्ड, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का विचलन किया था।

तालिका 3.4

कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र से बाहर निधियों के विचलन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एजेंसी जिससे निधियां प्राप्त हुई	उद्देश्य	मण्डलों की संख्या	निधियों का विचलन		स्कीमों की संख्या जिनकों निधियों का विचलन किया गया
				माह/वर्ष	राशि	
1.	नाबार्ड	पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए	01	मार्च 2020	1.10	01 (शहरी)
2.	जल जीवन मिशन		05	दिसम्बर 2019 और जनवरी 2021 के मध्य	4.87	93 (जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनुमोदित नहीं)
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम		01	अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य	1.01	13 (उठाऊ सिंचाई स्कीम/ प्रवाह सिंचाई स्कीम, शहरी जल आपूर्ति स्कीम, आवासीय/सरकारी भवन, सीवरेज़ स्कीमें, आदि)
कुल			**07**		**6.98**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- कुल्लू मण्डल नंबर I में अधिशाषी अभियन्ता ने नाबार्ड निधि के ₹ 1.10 करोड़ अनियमित रूप से 'मनाली शहर की जल आपूर्त्ति स्कीम के संवर्धन' के निर्माण के लिए विचलन किया था, जिसे आरम्भ में गांवों के समूह (फाट्टी पीज, खराहल बल्ह, बनहार, खरियार, आदि) को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई थी (अक्तूबर 2014)। संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने (अगस्त 2021) कहा कि भविष्य में निधियों का सुधार कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नाबार्ड निधियों को शहरी जल आपूर्ति स्कीम में विचलन और उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

- पांच मण्डलों[9] में, अधिशाषी अभियन्ताओं ने जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 93 अन्य राज्य स्कीमों[10] के लिए ₹ 4.87 करोड़ की जल जीवन मिशन निधियों का विचलन किया था।
- रामपुर मण्डल में अधिशाषी अभियन्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.01 करोड़ की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि को 13 अन्य स्कीमों (उठाऊ /प्रवाह सिंचाई स्कीम, शहरी जल आपूर्ति स्कीम, आवासीय/सरकारी भवन, सीवरेज स्कीमें इत्यादि) के लिए विचलन किया था।

3.6 समुदायों द्वारा पूंजीगत लागत के हिस्से का योगदान न करना

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 6.1.2 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत तथा/अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले गांव में पाइप से जलापूर्ति अवसंरचना तथा संबंधित स्त्रोत के विकास के लिए समुदाय पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में नकद तथा/ अथवा अन्य प्रकार तथा/ अथवा श्रम में पूंजीगत लागत के 5 *प्रतिशत* का योगदान देंगें। गांव के अवसंरचना सृजन के लिए नकद में किए गए सामुदायिक अंशदान को ग्राम पंचायत तथा/ अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि के संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसे किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास खोला जा सकता है। इस खाते को ग्राम पंचायत तथा/ अथवा उसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के अध्यक्ष तथा संबंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना था। सामुदायिक अंशदान (गांव के भीतर अवसंरचना सृजन के लिए), प्राप्त प्रोत्साहन तथा परिचालन एवं रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृहवासियों द्वारा प्रदत्त उपयोगकर्ता शुल्क के लिए पृथक बहीखाते बनाने थे। सामुदायिक अंशदान का भुगतान जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तय की गई एजेंसी/ विक्रेता को किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग ने राज्य स्तर पर सामुदायिक अंशदान के संग्रहण और जल आपूर्ति स्कीमों के सामुदायिक स्वामित्व से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया था।
- दो (20 में से) नमूना-जांचित मण्डलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीम की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित नहीं की गई थी। शेष 18 नमूना-जांचित मण्डलों में

---

[9] बग्गी: ₹ 1.58 करोड़, बिलासपुर: ₹ 0.86 करोड़, कुल्लू-1: ₹ 0.47 करोड़, मतियाना: ₹ 1.65 करोड़ तथा रामपुर: ₹ 0.31 करोड़।

[10] पुरानी स्कीमों की मुरम्मत एवं रखरखाव (65 कार्य: ₹ 2.08 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (पांच स्कीमें: ₹ 0.12 करोड़), नाबार्ड (पांच स्कीमें: ₹ 0.39 करोड़), प्रवाह सिंचाई स्कीम/ उठाऊ सिंचाई स्कीमें (चार स्कीमें: ₹0.06 करोड़), शहरी जल आपूर्ति स्कीम (पांच स्कीमें: ₹ 0.09 करोड़), आवासीय भवन (पांच कार्य: ₹ 0.07 करोड़), विद्युत आपूर्ति (तीन स्कीमें: ₹ 0.47 करोड़) तथा कार की मुरम्मत (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़)।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 11,074 बस्तियों को आवृत करने के लिए विभाग द्वारा (सितम्बर 2019 तथा मार्च 2021 के मध्य) 410 जलापूर्ति स्कीमों को ₹ 1,151.56 करोड़ की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया था। तथापि, समुदायों ने जून 2021 से फरवरी 2022 तक दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 57.58 करोड़ (अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत की दर से) के अंश का योगदान नहीं किया था, जिसका विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान स्वीकृत स्कीमों के लिए समुदायों द्वारा नहीं दिए गए पूंजीगत लागत अंशदान का विवरण

(स्कीमों तथा बस्तियाँ संख्या में और अनुमानित लागत तथा अंशदान ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मण्डल	स्कीमें	अनुमानित लागत	बस्तियां	समुदायों से प्राप्त किया जाने वाला अशंदान (पाँच *प्रतिशत*)
1.	बग्गी	31	58.21	939	2.91
2.	भोरंज	5	51.42	296	2.57
3.	बिलासपुर	15	95.37	570	4.77
4.	चम्बा	33	12.68	1546	0.63
5.	चौंतड़ा	9	66.65	368	3.33
6.	धर्मशाला	12	25.88	173	1.29
7.	झण्डुता	10	115.18	664	5.76
8.	काज़ा	44	11.59	57	0.58
9.	केलांग	9	2.79	177	0.14
10.	कुल्लू 1	52	90.17	693	4.51
11.	मण्डी	13	81.17	321	4.06
12.	मतियाना	9	147.62	1470	7.38
13.	पालमपुर	25	132.36	370	6.62
14.	रामपुर	83	45.54	541	2.28
15.	रिकांगपिओ	11	6.35	24	0.32
16.	सलूणी	6	19.84	585	0.99
17.	शिमला	11	87.91	1732	4.40
18.	थुरल	32	100.83	548	5.04
कुल		**410**	**1151.56**	**11074**	**57.58**

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

स्कीमों के स्थान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में लाभार्थी समुदायों की कोई भागीदारी नहीं थी। विभाग अनुमानित लागत के पांच *प्रतिशत* का अंशदान प्राप्त न करके स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने में विफल रहा। सामुदायिक योगदान सुनिश्चित न करने से विभाग, जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी/ स्वामित्व सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सचिव ने कहा कि गांव की अवसंरचना की लागत का आकलन करने के बाद, यह निर्णय लिया गया और अधिसूचित किया गया कि सामुदायिक योगदान के रूप में प्रत्येक गृहवासी से ₹ 100/- की राशि एकत्रित की जाएगी तथा इस राशि को गृहवासियों से

वसूल किया जा रहा है। तथापि, वसूली के लिए ऐसा कोई आदेश जैसा कि कहा गया है, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में नहीं आया।

अनुबंध मांग/ अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों में संशोधन न किए जाने तथा शून्य उपभोग के लिए ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से ₹ 1.79 करोड़ के ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

3.7 ऊर्जा प्रभारों का भुगतान

(i) मांग प्रभारों और अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के टैरिफ की सामान्य शर्तों के अनुसार, "दो भाग टैरिफ के अंतर्गत उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा उपभोग का रूपये प्रति केवीएएच (किलो वॉल्ट एम्पीयर आवर) में बिल दिया/प्रभारित किया जाता है, को केवीएएच प्रभारों के अतिरिक्त, भाग-III के अनुसार 'डिमांड चार्ज' (रुपये/वीए/माह में) भी वसूला जाएगा। माह के किसी भी निरन्तर 30 मिनट ब्लॉक अवधि के दौरान ऊर्जा मीटर पर दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में) अथवा अनुबंध मांग के 90 *प्रतिशत* (केवीए में), जो भी अधिक हो, लेकिन वर्तमान में लागू अनुबंध मांग की सीमा तक गणना की जाती है। यदि किसी निरन्तर 30 मिनट की ब्लॉक अवधि के दौरान ऊर्जा मीटर पर दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध मांग से अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड जिस सीमा तक उल्लंघन अनुबंध मांग से अधिक हुआ है ऐसी घटना में एक दर पर जो मांग शुल्क की दर से तीन गुना होगी, अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभार लगाता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध मांग को वर्ष में दो बार संशोधित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सात नमूना-जांचित मण्डलों में, मार्च 2018 से अक्टूबर 2021 (लेखापरीक्षा की तिथि तक) के दौरान 10 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के बिजली मीटरों की अभिलेखित मांग अनुबंध मांग की तुलना में बहुत कम थी, जहां मण्डलों को अनुबंध मांग के 90 *प्रतिशत* की दर से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को मांग प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने वास्तविक उपयोग के चलन के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित/कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला नहीं उठाया था। यदि वास्तविक उपभोग के चलन के अनुसार संविदा मांग को कम किया गया होता, तो इस अवधि के दौरान ₹ 0.94 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6

मांग प्रभारों के परिहार्य भुगतान जहां अभिलेखित मांग अनुबंध की मांग से कम है का विवरण

क्रम सं.	मण्डल का नाम	स्कीमों की संख्या	अनुबंध मांग (केवीए में)	अभिलेखित मांग की सीमा (केवीए में)	अवधि	परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
1.	भोरंज	1	66.41	23 से 36.5 तक	मई 2019 से सितम्बर 2021	1.50
2.	बिलासपुर	1	920	319.35 से 444.78 तक	फरवरी 2020 से मार्च 2021	13.61
3.	डलहौज़ी	1	889	171 से 332 तक	मार्च 2018 से जुलाई 2021	58.97
4.	धर्मशाला	1	88	30.39 से 30.75 तक	जून 2019 से सितम्बर 2020	2.34
5.	हमीरपुर	4	1220	880 से 997.3 तक	मार्च 2020 से अक्टूबर 2021	4.43
			80	0.037 से 24.763 तक	जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021	3.78
			106	18.208 से 39.796 तक	जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021	4.82
			67	24 से 29 तक	मार्च 2020 से अक्टूबर 2021	1.80
6.	मण्डी	1	292	0 से 143.089 तक	फरवरी 2020 से सितम्बर 2021	2.14
7.	सलूणी	1	37	5 से 21.3 तक	जुलाई 2018 से सितम्बर 2021	0.35
कुल		**10**				**93.74**

स्रोत: ऊर्जा बिल और विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- छः मण्डलों[11] (20 में से) में, दिसंबर 2017 और मार्च 2021 के मध्य की अवधि के दौरान 10 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में दर्ज की गई मांग अनुबंध मांग से अधिक थी। संबंधित मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने वास्तविक उपयोग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने के लिए कार्रवाई नहीं की थी जिसके कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹ 0.64 करोड़ के अनुंबध मांग उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ जैसा कि **तालिका-3.7** में विवरण दिया गया है।

[11] बग्गी, भोरंज, बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी तथा रामपुर।

तालिका 3.7

मांग प्रभारों के परिहार्य भुगतान का विवरण जहां दर्ज की गई मांग अनुबंध मांग से अधिक है

क्रम सं.	मण्डल का नाम	स्कीमों की संख्या	अनुबंध मांग (केवीए में)	अभिलेखित मांग की सीमा (केवीए में)	अवधि	परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
1.	बग्गी	1	30	71 से 88.1 तक	नवम्बर 2019 से नवम्बर 2020	0.94
		1	60	122.6 से 157.3 तक	नवम्बर 2018 से फरवरी 2021	3.19
2.	भोरंज	1	80	109.6 से 148 तक	मई 2019 से मार्च 2021	5.88
		1	67	80.6 से 91.6 तक	जून 2019 से मार्च 2021	1.37
3.	बिलासपुर	1	108	113.6 से 126 तक	फरवरी 2020 से फरवरी 2021	0.88
		1	29.84	42 से 47.2 तक	अप्रैल 2020 से फरवरी 2021	0.97
4.	हमीरपुर	1	50	80.32 से 84.98 तक	दिसम्बर 2019 से मार्च 2021	0.69
		1	94	117 से 126 तक	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	1.12
5.	मण्डी	1	75	118 से 157.6 तक	मई 2020 से मार्च 2021	4.29
6.	रामपुर	1	814	732 से 1096 तक	दिसम्बर 2017 से मार्च 2021	44.39
कुल		**10**				**63.72**

संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने बताया (सितंबर 2021 और मार्च 2022 के मध्य) कि अनुबंध मांग के संशोधन का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि अधिशाषी अभियन्ताओं ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामले को समय पर नहीं उठाया था, जिससे मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

(ii) 'शून्य' उपभोग पर ऊर्जा प्रभार

तीन मण्डलों (20 में से) में, सात उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों के मीटरों के संबंध में ऊर्जा प्रभार के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹ 21.29 लाख[12] का भुगतान (अप्रैल 2016 और मार्च 2021 के दौरान) किया गया था, जहां बिजली की खपत 'शून्य' थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने मामलों की समीक्षा नहीं की थी तथा समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ इस मामले को नहीं उठाया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को उस सीमा तक हानि हुई। संबंधित

[12] बिलासपुर: ₹ 6.35 लाख, चौंतड़ा: ₹ 9.53 लाख और हमीरपुर: ₹ 5.41 लाख।

मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान) मीटर काटने का मामला नोट किया।

नमूना-जांचित मण्डलों ने ₹ 9.35 करोड़ के जलप्रभारों की वसूली नहीं की थी तथा जल प्रभार 31 मार्च 2021 तक वसूली हेतु बकाया थे। नमूना-जांचित मण्डलों में जलापूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव पर ₹ 243.77 करोड़ के व्यय के प्रति, ₹ 99.81 करोड़ का राजस्व संग्रह 2016-21 की अवधि के दौरान केवल 41 *प्रतिशत* था तथा संचालन और रखरखाव पर व्यय 2019-20 (36 *प्रतिशत*) और 2020-21 (46 *प्रतिशत*) के दौरान अत्याधिक बढ़ गया था। रिकांगपिओ मण्डल में ₹ 27.42 लाख के जल-प्रभारों का गबन किया गया तथा ₹ 12.02 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी।

3.8 जल-प्रभार

हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम 1968 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से चलाई जा रही जल आपूर्ति स्कीम से उपभोक्ता को दिए गए जल के लिए राज्य सरकार जल-प्रभार लगायेगी। उपभोक्ताओं से जल-प्रभारों की वसूली एक समान दर के आधार पर अथवा मीटर कनेक्शन के मामले में अभिलेखित जल की खपत के आधार पर की जानी आवश्यक थी। प्रमुख अभियन्ता ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति माह ₹ 28.55 प्रति कनेक्शन और वाणिज्यिक कनेक्शनों के लिए न्यूनतम ₹ 100 प्रति माह की शर्त के साथ ₹ 22.90 प्रति किलो लीटर की संशोधित दरों (जनवरी 2016) को अधिसूचित किया था, इन दरों में प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 10 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी की गई थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां ध्यान में आई:

(i) उपभोक्ताओं से जल-प्रभारों का वसूल न करना

वर्ष 2016-21 के दौरान सभी 20 नमूना-जांचित मण्डलों में उपभोक्ताओं से ₹ 109.16 करोड़ (1 अप्रैल 2016 को अथ शेष: ₹ 3.90 करोड़ और 2016-21 के दौरान जारी किए जल प्रभार बिल: ₹ 105.26 करोड़) के जल प्रभारों के प्रति संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने ₹ 99.81 करोड़ की वसूली की थी तथा 31 मार्च 2021 तक वसूली के लिए ₹ 9.35 करोड़ बकाया थे (**तालिका 3.8**)।

तालिका 3.8

31 मार्च 2021 तक नमूना-जांचित मण्डलों में बकाया जल-प्रभारों का विवरण

वर्ष	जल आपूर्ति उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या जिनसे बकाया जल-प्रभारों की वसूली की जानी है	बकाया जल प्रभारों का अथशेष (₹ करोड़ में)	जारी किए गए जल-प्रभार बिल (₹ करोड़ में)	एकत्रित जल-प्रभार (₹ करोड़ में)	बकाया जल-प्रभार (₹ करोड़ में)
2016-17	3,14,349	27,770	3.90	16.96	16.42	4.43
2017-18	3,23,599	28,361	4.43	19.33	18.35	5.41
2018-19	3,40,236	33,238	5.41	21.18	20.42	6.17
2019-20	3,76,306	37,196	6.17	24.18	22.67	7.69
2020-21	3,99,973	50,341	7.69	23.61	21.95	**9.35**
कुल				**105.26**	**99.81**	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

विभाग ने अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मई 2022 से जल-प्रभारों की वसूली बंद कर दी गई है और बकाया जल-प्रभारों की वसूली के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

(ii) संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उदग्रहण तथा संग्रहण और व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण

नमूना-जांचित मण्डलों में जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण तथा व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण **चार्ट-3.1** में दिया गया है।

चार्ट-3.1

संचालन तथा रखरखाव के अंतर्गत किए गए राजस्व के उदग्रहण तथा संग्रहण और व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

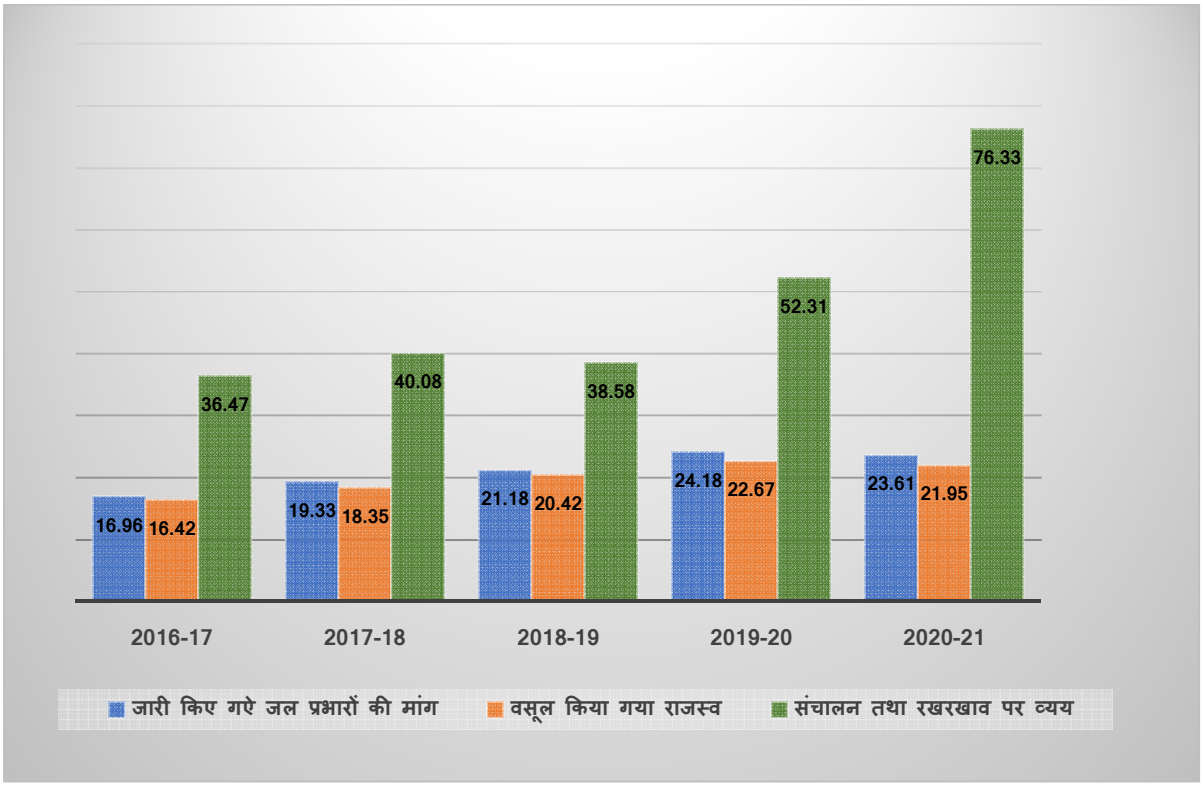

जैसाकि ऊपर से देखा जा सकता है, नमूना-जांचित मण्डलों में जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन और रखरखाव पर ₹ 243.77 करोड़ के व्यय के प्रति, 2016-21 की अवधि के दौरान ₹ 99.81 करोड़ का राजस्व संग्रहण केवल 41 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, जल प्रभारों का संग्रहण संचालन और रखरखाव पर व्यय के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 (36 *प्रतिशत*) तथा 2020-21 (46 *प्रतिशत*) के दौरान संचालन और रखरखाव पर व्यय में अत्याधिक वृद्धि हुई थी।

अन्तिम सम्मेलन (दिसंबर 2022) के दौरान, सचिव ने संचालन और रखरखाव पर व्यय में वृद्धि का संज्ञान लिया तथा विभागीय अधिकारियों को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया।

(iii) जल-प्रभारों का संदेहास्पद गबन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 3 में प्रावधान है कि सरकार की देय राशि के रूप में सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि तुरंत सरकारी खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त नियम 5 में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार के संबंधित विभाग का कर्तव्य होगा कि सरकार की प्राप्तियों और देय राशियों को सही और तत्परता से निर्धारण, संग्रहण और समेकित निधि में विधिवत जमा किया जाए।

- रिकांगपिओ मण्डल में अधिशाषी अभियन्ता ने जल-प्रभारों के संग्रहण हेतु उपभोक्ताओं को रसीद जारी करने के लिए 1000 रसीद पुस्तिकाएं मुद्रित करवाई थीं (जुलाई 2015)। इनमें से, 893 रसीद पुस्तिकाएं मण्डल के स्टोर में खाली/अप्रयुक्त पाई गईं और 89 रसीद पुस्तिकाओं का हिसाब-किताब कैश बुक में लेखाबद्ध किया गया और तदनुसार राशि को कोषागार में जमा करवाया गया। रसीद संख्या 23901-24000 वाली एक रसीद पुस्तिका, मण्डल द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई। शेष 17 रसीद पुस्तिकाओं में मण्डल के कर्मचारी द्वारा वर्ष 2016-21 के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 27.25 लाख[13] के जल प्रभारों को न तो कैश बुक में लेखाबद्ध किया गया और न ही सरकार को क्रेडिट के लिए कोषागार में जमा करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद गबन हुआ। उपरोक्त 17 रसीद पुस्तिकाओं में चार रसीद पुस्तिकाओं में सात प्रतिदर्शी[14] गायब पाए गए जिससे संदेहास्पद गबन की राशि बढ़ सकती है।
- फरवरी 2021 में प्राप्त ₹ 5.89 लाख के जल-प्रभारों को कैश बुक में ₹ 5.78 लाख के रूप में लिया गया तथा कोषागार में जमा करवाया गया। इस प्रकार ₹ 0.11 लाख का संदेहास्पद गबन हुआ।
- निचार उप-मण्डल में, दस उपभोक्ताओं से प्राप्त (अगस्त 2018 तथा मार्च 2020 के मध्य) ₹ 0.10 लाख के प्रति, केवल ₹ 0.04 लाख कैश बुक में लेखाबद्ध किए गए और कोषागार में जमा किए गए। इस प्रकार ₹ 0.06 लाख का संदेहास्पद गबन हुआ।

इस प्रकार, मण्डल के कर्मचारियों द्वारा कोषागार में जल प्रभार संग्रहणों को जमा न करवाने/कम जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 27.42 लाख के सरकारी राजस्व का संदेहास्पद गबन हुआ।

सचिव ने तथ्यों का संज्ञान लेते हुए (दिसंबर 2022) प्रमुख अभियंता को मामले की जांच पड़ताल करने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी मण्डलों में स्थिति की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।

[13] रसीद पुस्तिका का सन्दर्भ- (i) 2901-3000: ₹ 1.76 लाख (ii) 3901-4000: ₹ 1.80 लाख, (iii) 5101-5200: ₹ 1.80 लाख (iv) 5301-5400: ₹ 1.61 लाख (v) 5401-5500: ₹ 1.02 लाख (vi) 6201-6300: ₹ 1.82 लाख (vii) 6401-6500: ₹ 2.21 लाख (viii) 7101-7200: ₹ 1.63 लाख (ix) 7201-7300: ₹ 1.75 लाख (x) 7301-7400: ₹ 1.92 लाख (xi) 7401-7500: ₹ 1.67 लाख (xii) 7501-7600: ₹ 1.38 लाख (xiii) 7601-7700: ₹ 1.48 लाख (xiv) 7701-7800: ₹ 1.57 लाख (xv) 20901-21000: ₹ 1.33 लाख (xvi) 21101-21200: ₹ 2.15 लाख (xvii) 89601- 89618: ₹ 0.35 लाख.

[14] (i) 2923 (ii) 2954 (iii) 2958 (iv) 2997 (v) 5369 (vi) 5482 (vii) 89613.

(iv) जल प्रभार संग्रहणों का सरकारी खाते में जमा न करना

रिकांगपिओ मण्डल में, 2018-21 के दौरान एकत्र किए गए ₹ 12.02 लाख के जल प्रभारों को राजस्व शीर्ष- 0215 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' के अंतर्गत कोषागार में जमा करवाने के बदले सहायक अभियंता, उप मण्डल रिकांगपिओ के नाम से खाता खोलकर एक वाणिज्यिक बैंक में चालू खाते में जमा किया गया था। अधिशाषी अभियन्ता ने जल प्रभारों को सरकारी खाते में जमा करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2021)। तथ्य यह है कि अधिशाषी अभियन्ता ने लंबे समय तक निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखा था जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(v) जल-प्रभारों की वसूली न करना

पालमपुर मण्डल में जल शक्ति विभाग द्वारा नगर परिषद/नगर निगम पालमपुर को ₹ 13.86 प्रति किलो लीटर प्रतिदिन की दर से 1534 किलो लीटर जल की आपूर्ति की गई। तथापि, जनवरी, 2022 तक नगर निगम पालमपुर से वर्ष 2006-21 के दौरान वसूल की जाने वाली ₹ 8.55 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है। अधिशाषी अभियन्ता, पालमपुर ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि बार-बार पत्र-व्यवहार करने के बावजूद, नगर निगम ने जल-प्रभारों का भुगतान नहीं किया।

निष्कर्ष

राज्य में पेयजल स्कीमों का वित्तीय प्रबंधन अकुशल तथा अमितव्ययी था। जल-प्रभारों के रूप में राजस्व का कुशलतापूर्वक संग्रहण नहीं किया जा रहा था तथा साथ ही अनावश्यक रूप से अनुबंध मांग उल्लंघन प्रभारों के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया जा रहा था क्योंकि अधिशाषी अभियन्ताओं ने बिजली के वास्तविक उपभोग की प्रवृतियों पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति स्कीमों के लिए जारी की गई निधियों में से बड़ी राशि लंबे समय तक मण्डलों में अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त निधियों का विचलन तथा अधिक व्यय भी किया गया जिससे स्वीकृत स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता कम हुई। चूंकि समुदायों को स्कीमों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था, इसलिए परिकल्पित सामुदायिक स्वामित्व घटित नहीं हुआ।

सिफारिशें

विभाग चाहे तो:

(i) पेयजल निधियों के अन्य क्षेत्रों/कार्यों के लिए विचलन करने से बचने के साथ पेयजल सेवाओं से संबंधित स्कीमों के लिए आवंटित निधियों का समयबद्ध ढ़ंग से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें।

(ii) जल-प्रभारों के बिल जारी करने, संग्रहण, वसूली/जमा करने के लिए ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश जल बिल ऐप का उपयोग करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के अतिरिक्त किसी भी तरह के दुर्विनियोजन, सरकारी राजस्व को राजकोष में जमा करवाने में विलम्ब से बचा जा सके।

(iii) जल आपूर्ति स्कीमों के प्रबंधन में लाभार्थी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच सूचना, संचार तथा शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए।